पुस्तकालय

(2)

2592
3/4/07

सत्यमेव जयते

असंशोधित

26 MAR 2007

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं०....96n.....तिथि ...24....

बि० स० मु० (एम० ए०) 220—गोमो—1,000—8-6-2004

बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण एवं विनियमन) विधयेक,२००७

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।

श्री चन्द्रमोहन राय,मंत्री :अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण एवं विनियमन) विधयेक,२००७ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण एवं विनियमन) विधयेक,२००७ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

श्री चन्द्रमोहन राय,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय,

मैं "बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण एवं विनियमन) विधयेक,२००७" को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब मैं "विचार का प्रस्ताव" लेता हूं ।

श्री चन्द्रमोहन राय,मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण एवं विनियमन) विधयेक,२००७ पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन नियमावली के नियम १२२ (१) के तहत श्री रामदास राय एवं श्री किशोर कुमार का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् "विचार का प्रस्ताव" लिया जायेगा ।

माननीय सदस्य श्री रामदास राय, आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे या मूभ करेंगे ?

श्री रामदास राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक,२००७ के सिद्धांत पर विमर्श हो ।"

महोदय, यह जो कानून बना रहे हैं बिल्कुल इस राज्य के लिए यह एक नया कानून होगा । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो कानून के बारे में विधयेक लाया है, यह शब्द भी ऊपर से आया है । आप देखेंगे कि "बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक,२००७" में "नैदानिक" शब्द निदान से बना होगा । मैं यही समझता हूं और इस शब्द को आम जनता के लिए ग्राह्य के लिए इससे भी आसान शब्द को ढूंढना चाहिए था ताकि यह ग्राह्य होता और कानून की नजर में जो जाते उनको भी परेशानी नहीं होती । महोदय, यह जो लाये हैं, आपको स्मरण होगा । इसी सदन में १९७८ में घोषणा की गई थी कि राज्य में सरकारी चिकित्सकों के प्राईवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जायेगी, इस राज्य में घोषणा की गई थी और वह लागू नहीं हो सकी ।